

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महामा ज्योतिबा फुले स्टेलायण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 23 अक्टूबर, 2007

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सू0वि0/सम्ब0/14(2)/2007/6915-16, दिनांक 30-06-2007 एवं पत्रांक:सू0वि0/सम्ब0/2007/9341, दिनांक 15-09-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन संस्था रक्षपाल बहादुर मैनेजमेण्ट इंस्टीट्यूट, बरेली को वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्वतंत्र पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2007 से सम्बद्धता की सर्व स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था शासनावेष्टा संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित विधा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनावेष्टा का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्पत्ती/अध्यापक में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

संख्या-4316(1)/सत्तर-2-2007-सूविनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, संस्था रक्षपाल बहादुर मैनेजमेण्ट इंस्टीट्यूट, बरेली।
- (4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) उच्च शिक्षा अनुभाग-3 को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।